रा. प्र. क. 13

प्रस्तुती दिनांक 7/02/2013

रा.रा. माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, म.प्र. खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष

1. रूपचंद पिता आपाजी
उम्र-- 50 वर्ष, धंधा–खेती
निवासी–भटटायाण बुजूर्ग
तह. कसरावद जिला खरगोन म.प्र.

2. शिवराम पिता मंगल्या
उम्र–48 वर्ष, धंधा–खेती
निवासी–भटटायाण बुजूर्ग
तह. कसरावद जिला खरगोन म.प्र. ———— **प्रार्थीगण**

विरूद्ध

1. बसुबाई बेवा परसराम
उम्र–45 वर्ष,

2. फुन्दाबाई बेवा परसराम
उम्र–43 वर्ष,
दोनो निवासी–भटटायाण बुजूर्ग
तह. कसरावद जिला खरगोन म.प्र.

3. बाबू पिता रेवाराम
उम्र–62 वर्ष, धंधा–खेती

4. औंकार पिता रेवाराम
उम्र–58 वर्ष, धंधा–खेती

5. राजाराम पिता नत्थू
उम्र–48 वर्ष, धंधा–खेती
सभी निवासी–भटटायाण बुजूर्ग
तह. कसरावद जिला खरगोन म.प्र. ————**प्रतिप्रार्थीगण**

सु श्री चंचला शर्मा
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 08-02-2013 को प्रस्तुत
122/08-02-2013
अधीक्षक

R-746-PBR/13

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी श्रीमान नायब तहसीलदार तहसील कसरावद जिला खरगोन (म.प्र.) के द्वारा रा.प्र.क. 6/अ–13/2011/12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22.1.2013 से व्यथित होकर निम्नानुसार प्रस्तुत की जा रही है :–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, प्रार्थीगणों के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे नं. 378 एवं 379 ग्राम भटयाण बुजुर्ग तहसील कसरावद जिला खरगोन म.प्र. मे स्थित है प्रतिप्रार्थी क. 1 व 2 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमियां सर्वे नं. 384/1/2 व सर्वे नं. 384/2/2 ग्राम भटयाण बुजूर्ग तहसील कसरावद जिला खरगोन म.प्र. में स्थित है।

2. यह कि, प्रथमतः प्रतिप्रार्थी क. 1 व 2 द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्व अपने खेत में आने जाने के तथाकथित वंश परंपरा से उपयोग किये जाने वाले एकमात्र त्रेवाहटी मार्ग को ट्रेक्टर से हल बखरकर रोक दिए जाने से रास्ते की रोक हटाने बाबद संहिता की धारा 131 व 132 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया।

3. यह कि, प्रकरण की प्रचलनशीलता के दौरान प्रतिप्रार्थी क.01 राजीनामा पेश कर प्रार्थीगणों के विरूद्व रास्ते के दावे के अधिकार को अवत्याग किया गया तथा इस प्रकार प्रतिप्रार्थी क. 01 का नाम प्रकरण मे से विलोपित किया गया।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 746-पीबीआर/2013 जिला खरगौन

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-02-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	